—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 127/2016

उनवान

1. देवी पुत्र बख्ता जाति रेगर निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
1/1. पेम देवी पुत्री देवी
1/2. सुरजमल पुत्र देवी
1/3. शोभा पुत्री देवी
1/4. लेखराज पुत्र देवी
1/5. कान्ता पुत्री देवी
1/6. मंजू पुत्री देवी
1/7. रेखा पुत्री देवी
1/8. लीला देवी पत्नी छगनलाल
1/9. मनोज पुत्र छगनलाल
1/10. जितेन्द्र पुत्र छगनलाल
1/11. किरण पुत्री छगनलाल समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद

—— वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. छोटू पुत्र बरधा
2. मैना पुत्री बरदा
3. शांति पुत्री बरदा समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम बनेवडा, नसीराबाद
4. उप पंजीयक, नसीराबाद
5. राज0 सरकार जरियेंतहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 3 अनुपस्थित
4 व 5 जरियें राज. पैरोकार

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 17.7.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बनेवडा के चौसाला खसरा नम्बर 69 रकबा 21—9—10 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024 व 2023 से 2026 में खातेदार बख्ता वल्द [illegible] वादी की खातेदारी में दर्ज था। खातेदार बख्ता की मृत्यु हो गयी जिसका वा[illegible] वा[illegible]ही हैं उक्त आराजी के वंर्किंग खसरा नम्बर 132 रकबा 21—9—10 व[illegible] 2101, 2102 व 2103 वादी के नाम नियमानुसार दर्ज करने के ब[illegible] त्रुटिपूर्ण [illegible] प्रतिवादीगण के ना[illegible] कर दिया। आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी भूमि है। आरा[illegible] मुतनाजा के त्रुटिपूर्ण [illegible] के कारण

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी कर रहे है तथा आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जरियें अधिवक्ता जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर वादी व प्रतिवादीगण का बराबर हक व हिस्सा निहित है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण के पूव्रजों समय की क्रय की गयी आराजी है। वादी का अकेले उक्त आराजी पर हिस्सा नही है। वादी द्वारा कोई विक्रय पत्र पेश नही किया है जिससे सिद्व होता हो कि उक्त आराजी उसके पिता द्वारा क्रय की गयी हो। उक्त आराजी वादी के पिता के नाम किस प्रकार दर्ज हुयी वह दस्तावेज भी वादी ने पेश नही किया है। बंदोबस्त विभाग द्वारा कोई त्रुटिपूर्ण इन्द्राज नही किया गया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में वादी की पुश्तैनी होने से वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। ?

—— वादी

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी लेखराज व गवाह मोहनलाल के शपथ पत्र पेश कियें।

प्रकरण विचारण के दौराने प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 2100, 2101, 2102, 2103 किता 4 रकबा 3.48 की आराजी पर हाल जमाबंदी अनुसार वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आराजी मुतनाजा के साबिक राजस्व अभिलेख अनुसार चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013 से 2026 के खाता संख्या 265 में आराजी मुतनाजा के चौसाला खसरा नम्बर 69 रकबा 21–9–10 में बगता पुत्र लाखा व देवी पुत्र बख्ता के नाम दर्ज है। बख्ता पुत्र लाखा की मृत्यु हो गयी जिसका वारिस वादी ही है। उक्त आराजी चौसाला जमाबंदी में प्रतिवादीगण के पूर्वज बरदा के नाम खातेदारी दर्ज नही है। वंर्किग जमाबंदी में आराजी मुतनाजा के वंर्किग खसरा नम्बर 132 रकबा 21–9–10 प्रतिवादीगण के पिता बरधा पु. लाखा व वादी देवी पुत्र बख्ता के नाम दर्ज कर दी गयी। उक्तानुसार स्पष्ट है कि आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण/पूर्वज के नाम दर्ज नही थी। हाल राजस्व अभिलेख में उक्त अराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादीगण/पिता के नाम दर्ज हुयी है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य भी पेश नही की है। जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत राजव अभिलेख व साक्ष्य से वाद के कथनों की ताईद होती है। आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने के कारण वादीइन्द्राज दुरूस्ती का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 बहक वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बनेवडा के हाल खस[illegible] 2100, 2101, 2102, 2103 किता 4 रकबा 3.48 की आराजी पर वादी का वा[illegible] स्वी[illegible]"किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के [illegible] घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested

—3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

देवी बनाम छोटू

दावा बाबत :— 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर — 127/2016
पेश करने की दिनांक — 28.07.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम बनेवडा के हाल खसरा नम्बर 2100, 2101, 2102, 2103 किता 4 रकबा 3.48 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। उक्त आराजी पर वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 7 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested